चन्द्रकला । सावंकारी

14/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस वकील वादी इकतरफा सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। वाद वादी स्वीकार कर प्रति. गण को [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा पारित किया गया। आदेश पृथक से लिखाया जाकर हस्ता. जारी किया गया। पत्रावली बैसिल मुताबिक होकर बाद तामील तामील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनीषा तिवारी आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 746/दावा/18

उनवानः– तारीख दायरा 20.09.18

चन्द्रकला पत्नि बापूलाल जाति मेघवाल निवासी झालरापाटन ... वादी

बनाम

1. नाथीबाई जोजे घांसीलाल
2. घांसीलाल आ0 औंकार लाल
3. राधेश्याम आ0 घांसीलाल अकवाम लोधा निवासियान गोविन्दपुरा तह. झा.पाटन .. प्रति.गण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राज0 टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :–

1.श्री पूरीलाल राठौर, अभिभाषक वादी
2.प्रतिवादीगण के विरूद्व इकतरफा

–:: निर्णय ::–

दिनांक 14.11.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मालीपुरा तहसील झालरापाटन की खाता संख्या 17 की खसरा संख्या 78/305 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा एवं 374 /77 रकबा 0.10 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा, भूमि वादी की खातेदारी में स्थित है । तथा ग्राम मालीपुरा तहसील झालरापाटन की खाता संख्या 39 की खसरा संख्या 78/304 रकबा 1बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 373/28 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी में स्थित है । वादी की आराजी खसरा नम्बर 78/305 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा के दक्षिण खसरा नम्बर 78/304 रकबा 1.12 स्थित है जिसकी सीमा रेखा के बारे में प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व 3 आये दिन विवाद करते रहते हैं । वह इस सीमा रेखा को बदलते हुए वादी की आराजी उक्त खसरा नम्बर 78/305 की ओर बढ़ रहे हैं । उन्होने अपने इस उद्वेश्य के अग्रसर करने में शनेः शनेः वादी की अनुपस्थिति में सीमा रेखा को हंकार की, टापरी बनाई तथा अब वे मकान बनाने के लिए नीवें खोद रहे हैं । वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण 1, 2 व 3 बिना किसी वैध अधिकार के सीमा रेखा को हटाकर वादी की आराजी की ओर बढ़ गये हैं वादी की सीमा में अवैधानिक हस्तक्षेप करने पर उतारू है, मकान बनाने के लिए नीवें खोद रहे हैं । वादी को वैध अधिकारों से वंचित करने पर आमदा है । अतः वादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर उन्हें पाबन्द किया जावे किवह वादी के खाते कब्जे काश्त की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

खसरा नम्बर 78/305 की ओर बढ़कर वादी की आराजी में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप कर विद्यमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें, न ही किसी प्रकार से परिवर्तन करने की धमकी दें न किसी अवैधानिक प्रयास से परिवर्तन करवायें ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । वकील प्रतिवादी को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर एवं दिनांक 4.12.19 एवं 16.9.20 को अन्तिम दो बार अन्तिम अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी जवाबदावा पेश नहीं करने पर 14.10.2020 को जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई ।

वकील वादी ने साक्ष्य वादी ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति नकल जमाबन्दी ग्राम मालीपुरा खाता संख्या 17 सं. 2073–76, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 39 संम्वत 2073–76, नकल पेमाईश रिपोर्ट 10.6.2018 नकल नक्शा ट्रेस तथा दौराने बहस वर्तमान जमाबन्दी ग्राम मालीपुरा खाता संख्या 17 संम्वत् 2077–80 पेश कर वादी चन्द्रकला एवं बाबूलाल के बयान दर्ज करवाये गये ।

हमने बहस वकील वादी एक तरफा सुनी । तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । हम दौरान बहस वकील वादी द्वारा दिये गये तर्को से सहमत है । वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी गण 1, 2 व 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के कब्जे काश्त की ग्राम मालीपुरा आराजी खाता संख्या 17 के खसरा नम्बर 78/305 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा (वर्तमान खाता संख्या17 खसरा नम्बर78/305 रकबा 2.4784 है0) की सीमा में अवैधानिक हस्ताक्षेप कर विद्यमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें ना ऐसा किसी अन्य से करावे । फर्द डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

फर्द डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़

प्रकरण संख्या 476/दावा/2018 तारीख दायरा 20.09.2018

पीठासीन अधिकारी :– उपखण्ड अधिकारी झालावाड

उनवान

चन्द्रकला पत्नि बापूलाल जाति मेघवाल निवासी झालरापाटन ... वादी

बनाम

1. नाथीबाई जोजे घांसीलाल
2. घांसीलाल आ0 औंकार लाल
3. राधेश्याम आ0 घांसीलाल अकवाम लोधा निवासियान गोविन्दपुरा तह. झा.पाटन .. प्रति.गण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राज0 टीनेन्सी एक्ट

यह मुकद्मा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ बइजलास श्रीमती मनीषा तिवारी, आर.ए.एस. मिनजानिब रूबरू वकील वादी श्री पूरीलाल राठौर, प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादी मुताबिक राजीनामा मय खर्चा फाइनल डिक्री किया जाता है । वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी गण 1, 2 व 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के कब्जे काश्त की ग्राम मालीपुरा आराजी खाता संख्या 17 के खसरा नम्बर 78/305 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा (वर्तमान खाता संख्या17 खसरा नम्बर78/305 रकबा 2.4784 है0) की सीमा में अवैधानिक हस्ताक्षेप कर विद्यमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें ना ऐसा किसी अन्य से करावे ।

आज तारीख 14.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

मुहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धालय	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		